(15)

प्रेस नोट

मतदाता सूची में नाम न होने पर वोट डालने जैसी सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों पर सही स्थिति

विभिन्न सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सोशल मीडिया पर यह खबर चलाई जा रही है कि :–

1. आप पोलिंग बूथ पर पहुंचते है तथा मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर भी चुनौती वोट मांगते हुए मतदान कर सकते हैं।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है आपके पास भले ही वोटर आईडी हो परन्तु मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप मतदान नहीं कर सकते। आप अपना नाम मतदाता सूची में होने की पुष्टि nvsp.in पोर्टल पर/ अपने दूरभाष या मोबाईल से 1950 टॉल फ्री नम्बर डायल कर /अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में मतदाता सूची में अपना नाम देखकर कर सकते है। यदि आपका नाम मतदाता सूची में नही है तो आप अपना नाम मतदाता सूची में निरन्तर प्रक्रिया के तहत जोड़ने हेतु आवेदन कर सकते है। प्रथम चरण के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए आवेदन 30/03/2019 तक , द्वितीय चरण के लिए 08/04/2019 तक, तृतीय चरण के लिए 13/04/2019 तक एवं चतुर्थ चरण के लिए 19/04/2019 तक आवेदनो को निराकरण के लिए शामिल किया जावेगा। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर आवेदन ऑनलाईन nvsp.in पोर्टल पर या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन फार्म–6 में प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर यह खबर भी चल रही है कि आप मतदान करने जाते हैं तथा यदि आप पाते हैं कि किसी ने पहले से ही आपका वोट डाला है, तो टेण्डर वोट मांगे और अपना वोट डाले।

यह सही है, लेकिन फोटो आधारित मतदाता सूचियों के तथा वोटर स्लिप के साथ–साथ मतदाता पहचान पत्र या आयोग निर्धारित पहचान के दस्तावेज के फलस्वरूप ऐसा न के बराबर होता है।

3. ऐसी भ्रामक खबर भी सोशल मीडिया में पोस्ट की जा रही है कि 14% टेण्डर वोट होंगे तो ऐसे मतदान केन्द्रो पर पुनर्मतदान आयोजित किया जावेगा।

यह खबर पूर्णतः गलत है, मतदान के दूसरे दिवस केन्द्रीय प्रेक्षक की उपस्थिति में सभी मतदान केन्द्रो की स्कूटनी की जाती है । यह भी देखा जाता है कि कोई ऐसी घटना तो नही हुई जिससे मतदान की शुचिता प्रभावित हुई हो। उक्त रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जाती है ततपश्चात ही आयोग के निर्देश पर पुनर्मतदान की कार्यवाही होती है।

Scanned by CamScanner